राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017 जयपुर, दिनांकः 12/10/2017

अतिरिक्त आवंटन आदेश माह अक्टूबर, 2017
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

विभागीय समसंख्यक आवंटन आदेश दिनांक 07.07.2017 द्वारा माह अक्टूबर,2017 के आवंटन पश्चात् विभाग में अवितरित खाद्यान्न की अवशेष मात्रा 54,071.77 मैट्रिक टन मे से माह अक्टूबर,2017 हेतु जिला अजमेर एवं चूरू को क्रमशः 450 मैट्रिक टन एवं 100 मैट्रिक टन का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि विभाग द्वारा योजना में चयनित परिवारों/लाभार्थियों हेतु जारी आवंटन आदेश दिनांक 07.07.2017 में उल्लेखित मात्रा एवं विभागीय एन.आई.सी. शाखा द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से उचित मूल्य दुकानवार को आवंटित मात्रा में अन्तर, दशमलव के पश्चात् दर्ज मात्रा के कारण उत्पन्न हो रहा है ।

अतः यह अन्तर स्वयं के स्तर पर समाप्त कर नियमानुसार आवंटित मात्रा का उठाव एवं वितरण कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी ।

(प्रीति माथुर)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलक्टर्स, अजमेर एवं चूरू राजस्थान।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, (क्षेत्र) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, 4 नेहरू प्लेस, टोंक रोड जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, जयपुर।
8. जिला रसद अधिकारी, अजमेर एवं चूरू राजस्थान।
9. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग इस आदेश को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करें।
10. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव